CYBER CRIME & CYBER FORENSIC

Police Training College, Moradabad

साइबर क्राइम (Cyber Crime)

साइबर अपराध क्या है?

- कम्प्यूटर या नेटवर्क के माध्यम से होने वाला कोई भी आपराधिक कृत्य
- जिनमें कम्प्यूटर या तो नेटवर्क के माध्यम से एक लक्ष्य होता है या फिर कम्प्यूटर एक साधन के रूप में प्रयोग होता है

साइबर अपराध के बारे में जानना क्यो आवश्यक है?

- परम्परागत अपराध जैसे छल, उद्यापन, फिरौती हेतु अपहरण आदि अपराध में कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट
- बहुत तेजी से इन्टरनेट की ओर आकर्षित
- अधिकाशः धन का लेन–देन इलैक्ट्रानिक
- सोशल मीडिया (facebook, tweeter etc) का प्रयोग

कौन व्यक्ति साइबर अपराधी हो सकता है?

- नौकरी से असन्तुष्ट लोग
- किशोर 12 से 18 वर्ष तक
- राजनैतिक प्रतियोगी
- व्यवसायिक प्रतिद्धन्दी
- पूर्व पुरूष मित्र
- तलाखशुदा पति

कौन व्यक्ति साइबर अपराध के शिकार हो सकते है?

- दुर्भाग्यशाली व्यक्ति
- लालची व्यक्ति
- भोले भाले व्यक्ति
- अकुशल एवं अनुभवहीन व्यक्ति

साइबर अपराध में प्रयुक्त होने वाले कारक

- कम्प्यूटर
- मॉडम
- इन्टरनेट कनैक्शन
- हैकिंग साफ्टवेयर
- ई–मेल एकाउन्ट

साइबर अपराध के प्रकार

- Financial Crime वित्तिय हेरा फेरी
- Cyber Pornography अश्लीलता फैलाना
- Sale Of Illegal Articles अवैधानिक वस्तुओं का विक्रय
- Online Gambling इन्टरनेट के माध्यम से जुआ खेलना
- Email Spoofing किसी को जाली ई–मेल भेजना
- Forgery ऑनलाइन छल करना
- Cyber Defamation किसी की छवि को ऑनलाइन धूमिल करना
- Cyber Stalking किसी के जीवन पर कब्जा करना
- IRC Crime (Internet Relay Chat)

Financial Crime

- कम्प्यूटर और नेटवर्क की सहायता से धन की हानि होती है या धन की हानि होने की सम्भावना हो
- जैसे क्रेडिट कार्ड अपराध, नौकरी देने का फर्जी प्रस्ताव करना या संविदा सम्बन्धी अपराध।

Cyber Pornography

- किसी सामग्री को इलैक्ट्रानिक रूप में प्रकाशित करना जिसमें लैंगिक प्रदर्शन का कार्य या आचरण प्रदर्शित होता है |
- किसी सामग्री को इलैक्ट्रानिक रूप प्रकाशित करना जिसमें कामवासना भड़काने वाले क्रियाकलाप हो
- अश्लील या अभद्र या कामवासना भड़काने वाली सामग्री का पाठ या अंकीय चित्र किसी इलैक्ट्रानिक रूप में तैयार करना, संग्रहीत करना, प्राप्त करना, पढना, डाउनलोड करना, , आदान प्रदान या वितरित करना |

Sale Of Illegal Articles

- प्रतिबन्धित पशुओं का मॉस ऑनलाइन बेचना / खरीदना,
- लड़की / बच्चों को ऑनलाइन खरीदना या बेचना इत्यादि।

Online Gambling

- इन्टरनेट का उपयोग कर ऑनलाइन जुआ खेलना या सट्टा लगाना।

Email Spoofing

- किसी को फर्जी नाम से ई–मेल भेजा जाना है,

Forgery

- कपटपूर्वक या बेईमानी से इलैट्रानिक रूप में किसी व्यक्ति से छल करना

Cyber Stalking

- आनलाईन तरीके से किसी को तंग करना या परेशान करना

IRC Crime (Internet Relay Chat)

- चैटिंग मैसेन्जर का उपयोग कर किसी व्यक्ति (विशेषकर महिला) को तंग व परेशान करना।

साइबर अपराध के तरीके

- Hacking नेटवर्किंग के माध्यम से कम्प्यूटर में अनाधिकृत प्रवेश
- Electronic Record or Information Theft कम्प्यूटर में सचित जानकारी को चुराना
- Email Bombing
- Data Diddling
- Salami attacks
- Denial of service attack
- Wab Jacking

Hacking

- नेटवर्क प्रणाली की सुरक्षा में अनाधिकृत रुप से सेंध लगाकर प्रवेश करना

Electronic Record or Information Theft

- कम्प्यूटर की हार्ड डिस्क और अन्य ऐसे साधनों (फ्लापी, सी0डी. एवं पैन ड्राइव) पर उपलब्ध सूचनायें को प्राप्त करके या अन्य साधनों से सूचनाओं में हेराफरी करना

Email Bombing

- वहुत बडी संख्या में किसी व्यक्ति को ई- मेल भेजना

Data Diddling

- अनाधिकृत रूप से डाटा को परिवर्तित कर देना

Salami attacks

- इस प्रकार के अटैक सामान्य रुप से वित्तीय संस्थानों में किया जाता है।

Denial of service attack

- किसी वेवसाइट या किसी कम्पनी के सर्वर पर अत्यधिक बार हिट करना

Wab Jacking

- हैकर द्वारा किसी बैवसाइट पर नियन्त्रण कर लेना

Trojan Attack

- उत्पत्ति " ट्रोजन हार्स " शब्द से हुई है।
- किसी अनाधिकृत प्रोग्राम का दूसरे के सिस्टम पर अपने को अधिकृत प्रोग्राम के रुप में प्रस्तुत करके नियन्त्रण करना

Phishing E-mail

- जाल में फंसाना
- प्रलोभन देकर या डर दिखाकर साइबर अपराधी द्वारा किसी कम्प्यूटर/इन्टरनेट उपयोगकर्ता को अपने जाल में फंसा लेना

साइबर अपराध होने पर पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाहीः—

- तत्काल घटना स्थल पर निर्धारित साइबर क्राईम किट के साथ पहुॅचे।
- घटनास्थल को सुरक्षित करें किसी भी व्यक्ति के आने—जाने पर रोक लगा दे।
- घटनास्थल पर पहुॅचने के पश्चात किन—किन वस्तुओं की खोज करनी से उसी प्लानिंग तैयार करें।
- पुलिस टीम में लगे लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य का विभाजन करें।
- घटनास्थल पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों को अपने कब्जे में ले ले तथा उसकी सूची तैयार करें।

- समस्त कार्यवाही के दौरान अनेको वीडियों बना ले तथा आवश्यक फोटोग्राफ (सी0पी0यू0, मॉनीटर, स्कैनर, प्रिन्टर आदि के समस्त प्रकार के नम्बर) खीचे
- तलाशी के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों से आवश्यक पूछताछ करें तथा उन्हे किसी रिकार्डिंग डिवाईस में रिकार्ड कर लें।
- समस्त कम्प्यूटर के पोर्टस पर लेबल लगा दे ताकि बाद में समझा जा सके कि कौन सा तार किस पोर्ट में लगा था।
- समस्त कम्प्यूटर उपकरणों को बबल पोली में पैक करे ताकि झटके आदि लगने पर इलैक्ट्रानिक साक्ष्य नष्ट न होने पाएं।
- इलैक्ट्रानिक साक्ष्य जैसे सी0डी0, हार्ड डिस्क या अन्य स्टोरेज माध्यम को किसी प्रकार की स्कैनिंग मशीन से न गुजारे इससे डाटा नष्ट होने की सम्भावना रहती है।

कौन साक्ष्य इलैक्ट्रानिक साक्ष्य हो सकते हैं

- Floppy disks
- Zip/Jazz disks
- Tapes
- Digital cameras
- Memory sticks
- Printers
- CDs
- PDAs
- Game boxes
- Networks
- Hard drives
- Mobile
- Modem

साक्ष्य एकत्रिकरण हेतु आवश्यक किट

- कैमरा और वीडियों कैमरा
- पैमाना या फीता
- नोटबुक/स्कैच पैड
- पैन/परमानेन्ट मार्कर
- एन्टी स्टैटिक बैग
- दस्ताने
- मार्कर
- लेबलिंग का सामान
- सील करने का सामान
- पैक करने का सामान
- फिंगर प्रिन्ट को विकसित करने व उठाने की किट

घटनास्थल पर ध्यान देने योग्य बाते

- घटनास्थल को सुरक्षित करना
- फिंगर प्रिन्ट की तलाश करना
- कम्प्यूटर में छेड़छाड़ को रोकना
- कम्प्यूटर को टेलीफोन लाइन से अलग करना
- अगर कम्प्यूटर ऑफ है, तो उसे आन न करना
- अगर कम्प्यूटर ऑन है, तो विशेषज्ञ की सहायता से उसे स्वीच आफ करना।
- सभी ड्राइव को सील करना।
- घटना स्थल का फोटो तैयार करना।
- कम्प्यूटर को विशेषज्ञ की सहायता से अलग करना।

- कम्प्यूटर पर लेबिल लगाना।
- अगर कम्प्यूटर अधिग्रहीत नही किया जा सकता तो ड्राइव से डाटा की प्रति (Mirror Image) तैयार करने के लिए वैज्ञानिक साधन का प्रयोग किया जाय।
- अपराध में प्रयुक्त कम्प्यूटर का प्रयोग किसी अन्य कम्प्यूटेशन के किसी कार्य के लिए नही किया जाना चाहिए।
- कम्प्यूटर चलाने के लिए अपराध के संदिग्ध व्यक्ति की सहायता नही लेनी चाहिए बल्कि इस कार्य को करने में किसी कम्प्यूटर विशेषज्ञ को उचित पारिश्रमिक देकर उसकी सहायता प्राप्त की जा सकती है।

- अपराध से सम्बन्धित परिसर को विशेष रुप से ट्रेस बाक्सेज (कूड़ादान), की बोर्ड के नीचे का स्थान, मेजें और दराजें इत्यादि की तलाशी पासवर्ड, उपभोक्ता का नाम, प्रिन्ट आउट और हैण्ड आउट के लिए ली जानी जानी चाहिए।
- वित्तीय लेन देने के सम्बन्ध में संदिग्ध किताबों के लिए परिसर की तलाशी लेना।
- माउस और की बोर्ड को पालिथीन से बने कवर से ढकना चाहिए।
- कम्प्यूटर को एक बाक्स में थर्माकाल का कुशन लगाकर उचित प्रकार से रखना और सील करना।
- कम्प्यूटर को वैज्ञानिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला में अविलम्ब भेजना।
- परिवहन के दौरान कम्प्यूटर को झटकों से बचाना।
- स्टोरेज माध्यम को किसी प्रकार की स्कैनिंग मशीन से न गुजारना।

साइबर फौरेन्सिक (Cyber Forensics)

कम्प्यूटर की सूचनाओं को एकत्र करना, उनका विश्लेषण करके उन्हें न्यायालय में साक्ष्य के रुप में प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध कराना।

फोरेन्सिक विशेषज्ञ द्वारा निम्न कार्य किये जा सकते हैं:–

- कम्प्यूटर के हार्डवेयर और परिचालन के तरीके का परीक्षण
- कम्प्यूटर सिस्टम और कम्प्यूटर नेटवर्क का निरीक्षण करना
- कम्प्यूटर उन सिस्टमों को चालू करना जो कार्य नही कर रहे हों।
- पासवर्ड को तोड़ना
- हार्ड डिस्क का प्रतिरुप तैयार करना

विवेचना, तलाशी व गिरफ्तारी आदि की शक्ति

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम–2000 की के अन्तर्गत विवेचना और गिरफ्तारी के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैः–

- कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस निरीक्षक के पद से अनिम्न नही है इस अधिनियम के अपराधों की विवेचना कर सकता है। धारा 78 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम–2000
- कोई पुलिस अधिकारी जो पुलिस निरीक्षक के पद से अनिम्न नही है या कोई अन्य अधिकारी जिससे केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है, किसी सार्वजनिक स्थान में तलाशी लेने और गिरफ्तारी के लिए प्रवेश कर सकता है।
- किसी भी व्यक्ति को जो वहॉ पाया जाय जिसने इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध किया हो, अपराध कर रहा हो या करने वाला हो को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है।
- किसी मकान में प्रवेश, तलाशी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में द0प्र0सं0 के प्राविधान लागू होगें।